पंचायती राज मंत्रालय

मांग संख्या 70

पंचायती राज मंत्रालय

क. वसूलियॉ को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

		वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013		
मुख्य शीर्ष		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व	6689.08	0.40	6689.48	5250.00	0.65	5250.65	3913.76	0.65	3914.41	5350.00	0.74	5350.74
पूंजी	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	**6689.08**	**0.40**	**6689.48**	**5250.00**	**0.65**	**5250.65**	**3913.76**	**0.65**	**3914.41**	**5350.00**	**0.74**	**5350.74**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	14.41	0.40	14.81	16.00	0.65	16.65	16.00	0.65	16.65	20.00	0.74	20.74
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम													
2. पंचायत सशक्तिकरण और जवाबदेहिता प्रोत्साहन योजना	2515	10.00	...	10.00	27.90	...	27.90	27.90	...	27.90	36.00	...	36.00
3. मीडिया और प्रचार	2515	12.52	...	12.52	13.50	...	13.50	13.50	...	13.50	15.30	...	15.30
4. पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान	2515	0.96	...	0.96	2.70	...	2.70	2.70	...	2.70	1.55	...	1.55
5. कार्य अनुसंधान और अनुसंधान अध्ययन	2515	1.40	...	1.40	2.70	...	2.70	1.80	...	1.80	2.70	...	2.70
6. ग्रामीण व्यापार केंद्र	2515	0.86	...	0.86	2.70	...	2.70	0.70	...	0.70	0.25	...	0.25
7. राज्यो को संसाधन सहायता	2515	...	...	...	...	...	...	...	...	...	7.20	...	7.20
केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें													
8. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना													
8.01 प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण	2515	60.19	...	60.19	52.50	...	52.50	52.50	...	52.50	67.00	...	67.00
8.02 अवसंरचना विकास	2515	12.50	...	12.50	21.00	...	21.00	21.00	...	21.00	34.00	...	34.00
जोड़- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना		*72.69*	...	*72.69*	*73.50*	...	*73.50*	*73.50*	...	*73.50*	*101.00*	...	*101.00*
9. राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (आरजीपीएसए)	2515	...	...	...	...	...	...	...	...	...	45.00	...	45.00
10. ई-पंचायत संबंधी मिशन मोड परियोजना	2515	21.29	...	21.29	36.00	...	36.00	36.00	...	36.00	36.00	...	36.00
जोड़-केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें		**93.98**	**...**	**93.98**	**109.50**	**...**	**109.50**	**109.50**	**...**	**109.50**	**182.00**	**...**	**182.00**
11. यूएन एजेंसियों की सहायता प्राप्त परियोजनाओं के तहत विदेशी सहायता आगे देना	2515	4.90	...	4.90	4.90	...	4.90	4.90	...	4.90	4.90	...	4.90
12. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग-अंशदान	2515	0.05	...	0.05	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
जोड़-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम		**124.67**	**...**	**124.67**	**164.00**	**...**	**164.00**	**161.10**	**...**	**161.10**	**250.00**	**...**	**250.00**
13. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	...	...	...	20.00	...	20.00	19.66	...	19.66	30.00	...	30.00
राज्य योजनागत स्कीमें													

http://indiabudget.nic.in

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
14. पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि	3601	6550.00	...	6550.00	5050.00	...	5050.00	3717.00	...	3717.00	5050.00	...	5050.00
कुल जोड़		***6689.08***	***0.40***	***6689.48***	***5250.00***	***0.65***	***5250.65***	***3913.76***	***0.65***	***3914.41***	***5350.00***	***0.74***	***5350.74***
	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. योजना परिव्यय													
केन्द्रीय योजना:													
1. सचिवालय -आर्थिक सेवाएं	13451	14.41	...	14.41	16.00	...	16.00	16.00	...	16.00	20.00	...	20.00
2. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	12515	124.67	...	124.67	164.00	...	164.00	161.10	...	161.10	250.00	...	250.00
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	20.00	...	20.00	19.66	...	19.66	30.00	...	30.00
जोड़ - केन्द्रीय योजना		**139.08**	**...**	**139.08**	**200.00**	**...**	**200.00**	**196.76**	**...**	**196.76**	**300.00**	**...**	**300.00**
राज्य योजना:													
1. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) राज्य हिस्सा	43601	6550.00	...	6550.00	5050.00	...	5050.00	3717.00	...	3717.00	5050.00	...	5050.00
जोड़ - राज्य योजना		**6550.00**	**...**	**6550.00**	**5050.00**	**...**	**5050.00**	**3717.00**	**...**	**3717.00**	**5050.00**	**...**	**5050.00**
जोड़		**6689.08**	**...**	**6689.08**	**5250.00**	**...**	**5250.00**	**3913.76**	**...**	**3913.76**	**5350.00**	**...**	**5350.00**

1. यह प्रावधान पंचायती राज मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. पंचायत सशक्तिकरण और जवाबदेहिता प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य प्रोत्साहनों की एक ऐसी सुविचारित प्रणाली उपलब्ध कराना है जिससे पंचायतों को और अधिक कार्य, कर्मी और कोष अंतरित किए जाने के लिए राज्यों को सहायता देने और प्रोत्सांहित करने के वास्ते भारत सरकार के लिए एक प्रभावी तंत्र उपलब्ध हो सके।

3. मीडिया एवं प्रचार का अभिप्राय श्रवण एवं दृश्यन प्रचार तथा मुद्रण एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में लोगों को महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध कराना एवं जागरूकता उत्पन्न करना है।

4. पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान चलाया जा रहा है ताकि पंचायती राज संस्थाओं की निर्वाचित महिलाओं और युवा प्रतिनिधियों को संगठित किया जा सके जिससे कि पंचायती राज में विकेन्द्रीकृत अभिशासन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उनकी आवाज़, द्रष्यता और कार्य निष्पादन मज़बूत हो और वे सामूहिक कार्य करने हेतु एसोसिएशनें/नेटवर्क बना सकें।

5. कार्य अनुसंधान एवं अनुसंधान अध्ययन: उन शैक्षणिक संस्थाओं को जिन्हें ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में अनुसंधान व मूल्यांकन का विशेष अनुभव हो, पंचायती राज के विभिन्न पहलुओं मुख्यमत: बेहतर नीति निर्धारण के लिए एक उपकरण के रूप में प्रयोग हेतु कार्य अनुसंधान एवं अनुसंधान अध्ययन कार्य के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

6. ग्रामीण व्यवसाय केन्द्र (आर बी एच) : इस योजना का उद्धेश्य ''हाट से हाइपरमार्किट'' है जिससे कि मात्र आजीविका ही उपलब्ध नहीं हो अपितु ग्रामीण संपन्नता, ग्रामीण खेत इतर आय और ग्रामीण रोज़गार में भी वृद्धि हो सके।

7. राज्य को संसाधन सहायता: राज्यों को नीतियों पर एक समुचित संस्थातगत तंत्र तथा पंचायती राज संबंधित प्रक्रिया के माध्ययम से शैक्षिक एवं अन्यम संसाधन सहायता प्रदान करना।

8. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना

8.01. प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण: पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कर्मियों की क्षमता में सुधार लाने तथा पंचायतों को आवश्यक प्रशासनिक एवं अवसंरचना सहयोग उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को सहायता का प्रावधान है जिससे कि वे सौंपी गई स्कीमों के कार्यान्व यन एवं कार्यों का प्रभावी रूप से निष्पादन कर सकें।

8.02. अवसंरचना विकास : पंचायत घरों के निर्माण एवं ग्राम पंचायत स्तंर पर प्रशिक्षण अवसंरचना का सृजन करने हेतु प्रावधान है ।

9. राजीव गांधी पंचायत सशक्ति करण अभियान (आरजीपीएसए) : आरजीपीएसए के लक्ष्यध इस प्रकार हैं :-

http://indiabudget.nic.in

• पंचायतों एवं ग्राम सभाओं की क्षमताओं तथा प्रभावोत्पापदकता को बढ़ाना;

• पंचायतों को प्रजातांत्रिक निर्णय लेने तथा उत्तवरदायिता में सक्षम बनाना;

• संस्थाोगत ढ़ांचे को पंचायतों के ज्ञान संवर्धन तथा क्षमता निर्माण के लिए सुदृढ़ बनाना;

• संविधान में निहित अनुसार पंचायतों को शक्तिजयों एवं उत्तषरदायित्वोंि के अंतरण को बढ़ावा देना;

• अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत का विस्ता्र 1996 अधिनियम (पीईएसए) में परिकल्पसना के अनुसार अनुसूची V क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को अपने उत्तलरदायित्वोंअ के निर्वहन के लिए विशेष रूप से सुदृढ़ बनाना।

आरजीपीएसए एक देश भर में फैला हुआ कार्यक्रम है। उत्तशर-पूर्व राज्यो भी जनतांत्रिक रूप से निर्वाचित जिला परिषदों तथा ग्राम परिषदों को सहायता देने के योग्यि है, बशर्ते वे एसईसी के माध्य म से ग्राम परिषदों के नियमित चुनाव सुनिश्चि त करें।

10. ई-पंचायतों पर मिशन मोड परियोजना: राष्ट्रीय ई-अभिशासन कार्यक्रम (एन ई जी पी) के अधीन एक स्कीम जिसमें पंचायती राज संस्थानों में ई-अभिशासन को मिशन मोड परियोजना के रूप में चुना गया है ।

11. यूएन सहायता प्राप्त परियोजना: यूएनडीपी द्वारा क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

12. स्थानीय अभिशासन के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को अंशदान देने हेतु प्रावधान है ।

13. उत्तर-पूर्व राज्यों में परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान रखा गया है।

14. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि का प्रयोग केन्द्र एवं राज्यों के संयुक्तो प्रयासों के साथ कार्यक्रमों एवं नीतियों को चलाने के लिए किया जाता है जिससे उन्नति के मार्ग में आनेवाली बाधाओं को हटाने, विकास प्रक्रिया को गति प्रदान करने तथा जन जीवन की गुणता में सुधार लाया जा सके। योजना का लक्ष्य पिछड़े क्षेत्रों के लिए विकास कार्यक्रमों पर केंद्रित है जिससे असुंतलनों में कमी करने तथा विकास की गति बढ़ाने में सहायता मिलेगी। पिछड़े जिलों में पंचायत की सभी स्तरों पर पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अंतर्गत योजनाओं के नियोजन एवं कार्यान्वयन में केन्द्रीय भूमिका होगी जिससे देश के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अंतराल समाप्त हो पाएगा।

http://indiabudget.nic.in